संसं0—9 / आ0—09—09 / 2024 216(9) 10·3·25

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

!!संकल्प!!

चूँकि बिहार राज्यपाल को ऐसा विश्वास करने का कारण है कि **डा0 मनमोहन झा, चिकित्सा पदाधिकारी, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, हल्दीखोड़ा, कोचाधामन, किशनगंज** के पदस्थापन काल मे दिनांक—28.07.2007 से 20.02.2008 तक, दिनाक—07.05.2008 से 05.06.2011 तक, दिनाक—07.05.2008 से 05.06.2011 तक एव दिनाक—06.06.2011 को योगदान करने के उपरात अबतक अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के आरोप जैसा कि आरोप पत्र मे अन्तर्विष्ट है। इसलिए बिहार राज्यपाल ने सकल्प किया है कि उक्त **डा0 झा** के विरूद्ध अनुबध मे वर्णित आरोप के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम—17 के अधीन विभागीय कार्यवाही सचालित की जाए।

2. विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियत्रण एव अपील) नियमावली, 2005 के नियम—17 के अधीन **डा0 अलका सिन्हा, अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना** को सचालन पदाधिकारी तथा **प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा—2, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना** को सरकार का पक्ष प्रस्तुत करने के लिए उपस्थापन पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

3. डा0 झा से यह अपेक्षा की जाती है कि वे सचालन पदाधिकारी के समक्ष आदेश की प्राप्ति के दस कार्य दिवस के अन्दर अथवा किसी भी समय जैसा कि सचालन पदाधिकारी अनुमति दे, स्वयं उपस्थित हो।

4. इसमे माननीय उप (मुख्य) स्वास्थ्य मत्री की सहमति प्राप्त है।

आदेश:—आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प एक प्रति संचालन पदाधिकारी / उपस्थापन पदाधिकारी / आरोपित पदाधिकारी को अनुलग्नक की प्रति के साथ जानकारी एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेज दी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

(उपेन्द्र राम)

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक:—9 / आ0—09—09 / 2024(स्वा0) 216(9) **/ पटना, दिनांक :** 10·3·25

प्रतिलिपि:—आरोप पत्र एव साक्ष्यो की प्रति सहित **डा0 अलका सिन्हा, अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना** को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। अनुरोध के साथ अग्रसारित की जाती है कि वे अविलम्ब इसकी जॉच कर अधिगम तीन माह के अन्दर उपलब्ध कराने की कृपा करेंगें।

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक:—9 / आ0—09—09 / 2024(स्वा0) 216(9) **/ पटना, दिनांक :** 10·3·25

प्रतिलिपि:—आरोप पत्र एव साक्ष्यो की प्रति सहित **प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा—02, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना** (उपस्थापन पदाधिकारी) को उपस्थापन दाखिल करने हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक:—9 / आ0—09—09 / 2024.(स्वा0) 216(9) **/ पटना, दिनांक :** 10·3·25

प्रतिलिपि:—**डा0 मनमोहन झा, चिकित्सा पदाधिकारी, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, हल्दीखोड़ा, कोचाधामन, किशनगंज** को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:—आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय बेवसाईट मे प्रकाशनार्थ प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव।